राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश भोपाल

राष्ट्रीय कैंसर, डायबिटीज, हृदयरोग एवं स्ट्रोक निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (NPCDCS) तथा वृद्धजनों की स्वास्थ्य की देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE)

विज्ञापन

मध्यप्रदेश में रतलाम, झाबुआ, धार, होशंगाबाद एवं छिन्दवाड़ा में राष्ट्रीय कैंसर, डायबिटीज, हृदयरोग एवं स्ट्रोक निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (NPCDCS) एवं वृद्धजनों की स्वास्थ्य की देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE) कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसके लिये मानव संसाधनों की पदस्थापना पूर्णतः अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर किया जाना है। संविदा के आधार पर पदस्थापना किये जाने वाले मानव संसाधनों का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. स.	पदनाम	पदस्थापना										
		राज्य स्तर पर	जिला स्तर पर पद									
			रतलाम		झाबुआ		धार		होशंगाबाद		छिन्दवाड़ा	
			जिला स्तर पर	सामु. स्वा. केन्द्र	जिला स्तर पर	सामु. स्वा. केन्द्र	जिला स्तर पर	सामु. स्वा. केन्द्र	जिला स्तर पर	सामु. स्वा. केन्द्र	जिला स्तर पर	सामु. स्वा. केन्द्र
1	चिकित्सा अधिकारी											
	1 चिकित्सा अधिकारी		1	5	1	7	1	14	1	6	1	13
	2 मेडिकल ऑकोलोजिस्ट		1		1		1		1		1	
	3. साईटोपैथोलॉजिस्ट		1		1		1		1		1	
	4. साइटो पैथोलॉजी टेक्नीशियन		1	–	1	–	1	–	1	–	1	–
	5 कंसलटेन्ट मेडिसीन		2		2		2		2		2	
2	स्टॉफ नर्स	–	10	10	10	14	10	28	10	12	10	26
3	फिजियो–थैरेपिस्ट NPCDCS NPHCE	–	1 1	–	1 1	–	1 1	–	1 1	–	1 1	–
4	काउन्सलर	–	2	5	2	7	2	14	2	6	2	13
5	केयर को–आर्डिनेटर	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–
6	रिहैबिलिटेशन वर्कर	–	–	5	–	7	–	14	–	6	–	13
7	हास्पिटल अटेन्डेंड	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
8	सेनेटरी अटेन्टेड	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–
9	राज्य कार्यक्रम अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी	1	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–
10	प्रोग्राम असिस्टेन्ट	1	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–
11	फाइनेन्स/लॉजिस्टिक ऑफिसर	1	1	–	1	–	1	–	1	–	1	–
12	डाटा एन्ट्री आपरेटर	2	2	5	2	7	2	14	2	6	2	13
	कुल = 425	5	30	30	30	42	30	84	30	36	30	78

1. उक्त पदों का विवरण, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (आवश्यक एवं डिजायरेबल) उम्र की अधिकतम सीमा, मानदेय, कार्यो का विवरण आदि विभाग की वेबसाइट www.health.mp.gov.in पर तथा आवेदन का प्रारूप उपलब्ध है। वेबसाइट से लोड कर सकते हैं।
2. आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं।
3. अपना आवेदन पत्र, विस्तृत बायोडाटा, वर्तमान फोटो तथा योग्यता प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति सहित बंद लिफाफे में जिस पर आवेदित पदनाम लिखा हो, राज्य स्तर के पदों हेतु राज्य नोडल अधिकारी, असंचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, पांचवी मंज़िल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.) को तथा जिला स्तर के पदो ंके लिये के संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को भेजा जायें। यदि किसी उम्मीदवार को एक से अधिक पद एवं एक से अधिक जिलों में आवेदन करने है ंतो पृथक 2 आवेदन संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित करें।
4. इच्छुक अभ्यार्थी आवेदन पत्र हस्तलिखित अथवा टाईप करवाकर संपूर्ण दस्तावेजों की छायाप्रति, जो कि स्वयं के द्वारा अभिप्रमाणित हो, संलग्न कर जिस जिले के लिए आवेदन कर रहे हो, उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 25.12.2012 तक निश्चित रूप से रजिस्टर्ड डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए।
5. अभ्यार्थी लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्रों को पंजीकृत डाक से दिनांक 25.12.2012 को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध होना चाहिए। अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. आवेदन की अंतिम तिथि दिनाँक 25 दिसम्बर 2012 सायं 5.00 बजे तक होगी।
7. अंतिम तिथि एवं निर्धारित समय अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अस्पष्ट व अपूर्ण भरे आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। ऐसी स्थिति में आवेदक अपनी उम्मीदवारी का दावा नहीं कर सकता।
8. आरक्षण नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये संबंधित जिले में आरक्षण रोस्टर अनुसार चयन किया जायेगा। आरक्षण रोस्टर राज्य स्तर पदों के लिये राज्य स्तर पर एवं जिला स्तरीय पदों के लिये आरक्षण रोस्टर जिला स्तर पर लागू किया जावेगा।
9. निःशक्तजनों, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिलाओं हेतु प्रावधानित आरक्षण नियमों का पालन सम्बन्धित जिलों की जिला स्वास्थ्य समितियों द्वारा किया जावेगा।
10. अवकाश – म.प्र. शासन द्वारा संविदा नियुक्ति नियमों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी (प्रतिमाह एक दिवस आकस्मिक अवकाश) अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश की पात्रता नहीं होगी।
11. स्वास्थ्य विभाग में पूर्व से कार्यरत संविदा कर्मचारियों/विभाग से संबंद्ध स्वयं सेवकों को सामान्य आवेदक के रूप में मान्य किया जावेगा।
12. पद पूर्णतः अस्थाई है एवं इनकी सेवायें कभी भी समाप्त की जा सकती है।
13. चयनित अधिकारी/कर्मचारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मध्य 50 /– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध पत्र आवश्यक रूप से निष्पादित किया जावे, जो कि अधिकतम एक वर्ष के लिए हो। अनुबंध पत्र निष्पादित किये जाने का व्यय चयनित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा वहन किया जावेगा।
14. वर्तमान में अनुबंध एक वर्ष के लिए किया जावेगा। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आगे अनुबंध में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी।
15. पदस्थापना में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
16. किसी भी स्थिति में मिशन संचालक, आर.सी.एच./एन.आर.एच.एम. बैंक ऑफ इण्डिया, तृतीय तल, जेल रोड, भोपाल म.प्र. का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।

संचालक
असंचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम
भोपाल (म.प्र.)